बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन ।

राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है। इसके पूर्व औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 30.06.2016 तक प्रभावी रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.2 (ड.) में भारत सरकार द्वारा GST लागू किये जाने की स्थिति में VAT/CST/ET के मद में स्वीकृत प्रोत्साहन के लाभ को GST व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किये जाने के प्रावधान तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका–3 के नोट में GST व्यवस्था लागू होने पर कर संबंधी सुविधाएं GST व्यवस्था के तहत समान रूप से देय होने के प्रावधान के फलस्वरूप तथा वाणिज्य एवं उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों के आलोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में निम्न संशोधन किया जाता है :–

1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.2 **कर से संबंधित अनुदान** की उप कंडिका–घ को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है तथा कंडिका–ड. को विलोपित किया जाता है

(घ) (1) सभी पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षों तक उनके द्वारा आईजीएसटी तथा एसजीएसटी के इलेक्ट्रोनिक केडिट लेजर में तत्समय उपलब्ध एवं अनुमान्य राशि के उपभोग के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा किए गए एसजीएसटी मद् की राशि की 80 प्रतिशत (उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों के मामले में 100 प्रतिशत) की प्रतिपूर्ति जीएसटी लागू होने की तिथि (दिनांक 01.07.2017) से प्रदान की जायेगी। उद्योग विभाग द्वारा वाणिज्य–कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संगणित जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उक्त प्रतिपूर्ति निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी :–

(i) प्रतिपूर्ति का दावा विहित प्रपत्र में व्यवसायी द्वारा त्रैमासिक आधार पर त्रैमास समाप्त होने के पश्चात्वर्ती माह के अंत तक प्रस्तुत किया जायेगा;

(ii) पात्र इकाई द्वारा इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा करायी गयी कर की राशि का सत्यापन वाणिज्य–कर विभाग द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों एवं प्राप्त भुगतान के आधार पर किया जायेगा;

(iii) इकाई द्वारा राज्य में आपूर्ति के पश्चात किसी भी प्रकम पर किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा ऐसे माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति (विक्रय अथवा भंडार अंतरण) किये जाने की दशा में ऐसे अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मद् में देय आईजीएसटी के भुगतान हेतु प्रयुक्त एसजीएसटी के केडिट के समतुल्य राशि पात्रता प्राप्त इकाई से वसूलनीय होगा एवं ऐसी वसूली उक्त इकाई को प्रतिपूर्ति की जाने वाली अगले किस्त में समायोजन के माध्यम से की जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्ति की अगली किश्त भी देय है। प्रतिपूर्ति की अगली किश्त देय नहीं होने की दशा में इकाई द्वारा उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा कराया जाना होगा तथा जमा नहीं कराये जाने की दशा में यह राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(iv) इकाई द्वारा आपूर्ति हेतु देय कर के भुगतान के लिए तत्समय उपलब्ध आईजीएसटी एवं एसजीएसटी केडिट की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जायेगा तथा शेष एसजीएसटी कर दायित्व का निर्वहन उनके इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से किया जायेगा। उपलब्ध केडिट का उपभोग नहीं किये जाने की दशा में ऐसे उपलब्ध एवं अनउपभुक्त केडिट की राशि को इकाई को प्रतिपूर्ति मद् में देय राशि में से घटा दी जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्ति की अगली किश्त भी देय है। प्रतिपूर्ति की अगली किश्त देय नहीं होने की दशा में इकाई द्वारा उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा कराया जाना होगा तथा जमा नहीं कराये जाने की दशा में यह राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(v) उप–कंडिका (iii) तथा (iv) के अधीन वसूलनीय/सामंजन योग्य/जमा करायी जाने वाली राशि की गणना वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पात्र इकाई एवं अन्य सम्बद्ध व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी के आधार पर की जायेगी एवं इसकी सूचना उद्योग विभाग को दी जायेगी तथा ऐसे मामलों में आवश्यकता पड़ने पर वसूली उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी;

परन्तु यह कि उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1937 दिनांक 27.12.2017 द्वारा निर्गत उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–3.2.2 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी; तथा

(2) उपर्युक्त उप–कंडिका (1) के प्रयोजनार्थ पात्र इकाई द्वारा एसजीएसटी के भुगतान हेतु उपभोग की गयी आईजीएसटी एवं एसजीएसटी के क्रेडिट के सत्यापन, ऐसे क्रेडिट में सन्निहित राशि के प्राप्त होने की सम्पुष्टि एवं इकाई को अनुमान्य प्रतिपूर्ति की गणना एवं इसके संसाधन की प्रक्रिया हेतु वाणिज्य–कर विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

(3) स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत से कम उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी।

(ङ) विलोपित।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–8 (ख) के बाद कंडिका–8 (ग) सम्मिलित किया जाता है, जो निम्नवत है :–

कंडिका–8 (ग)– इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत की जाएगी, यद्यपि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत इकाईयों को प्रतिपूर्त्ति की अवधि एवं अधिसीमा पूर्व की भांति जारी रहेगी।

3. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंग्रेजी संस्करण की कंडिका–6.1(iii), 6.1(iv) तथा 6.2–3(a) में अंकित "Scheduled Nationalized Bank"को "Scheduled Commercial Bank" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों के वर्गीकरण सूची में **उजला श्रेणी** के उद्योगों को संचालनार्थ (CTO) सहमति लेने से मुक्त रखे जाने के आलोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–4.1.5.c "Green Category के उद्योगों को CTO एवं CTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट" को "**उजला श्रेणी** के उद्योगों को CTO एवं CTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के परिशिष्ट–I परिभाषाएं की कंडिका–6 विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन की उप कंडिका a, b, c में अंकित "कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि" को "कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.1 (vi) में संशोधन कर स्वीकृत परियोजना लागत में भूमि लागत की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाता है।

7. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.1 की उप कंडिका–(xix) के बाद निम्न उप कंडिका–(xx) जोड़ा जाता है :–

"कंडिका–6.1(xx) – वर्तमान में कार्यरत एवं नई इकाईयों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नवीन एवं नवीकरण उर्जा श्रोत आधारित इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें बिहार

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत नई परियोजना मानते हुए सभी प्रोत्साहन/सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।"

8. कर संबंधी अनुदान से संबंधित संशोधन GST लागू होने की तिथि दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से लागू होंगे। कर संबंधी अनुदान के अतिरिक्त अन्य संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नर्मदेश्वर लाल),
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020
सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020
सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020
सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020
सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलिपुत्र, पटना/मुजफ्फरपुर/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020

सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 108 /पटना, दिनांक– 20/01/2020

सं0सं0– 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(1)

Government of Bihar
Department of Industries

Resolution

Subject – Amendment in Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

In the background of commitment to holistic and inclusive development of Bihar, State Government has implemented Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 with effect from 01.09.2016. Prior to this, Industrial Incentive Policy, 2011 was in place from 01.07.2011 till 30.06.2016. In light of Clause 6.2.(d) of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 which refers to suitably modifying the Incentive provisions relating to VAT/CST/ET to conform to the GST system, once Government of India implemented GST, Clause 3 of Industrial Incentive Policy, 2011 which refers to tax related incentives being offered in accordance with GST consequent upon GST being implemented, and suggestions received from Commerce and Industry Associations, following amendments are made in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016:-

1. Sub-clause (d) of **Clause-6.2.: Tax related incentive** of Bihar Industrial Incentive Promotion Policy, 2016 is substituted as below and Sub-clause (e) is deleted:

(d) (1) All eligible units will be provided 80% reimbursement (100% in case of units in High-Priority Sector) against the SGST deposited in the account of the State Government from the Electronic Cash Ledger after adjustment of IGST and SGST credit available in the Electronic Credit Ledger, from the date of implementation of GST i.e. 01.07.2017. This reimbusrsement will be provided to eligible units up to 5 years from the date of commercial production of the units. Department of Industries will reimburse computed SGST based on the report received from the Commercial Taxes Department. The said reimbursement will be given subject to the following conditions :-

(i) Claim for reimbursement will be made by the Units in prescribed format on quarterly basis by the end of the month immediately succeeding the quarter.

(ii) Tax amount paid by the eligible unit from Electronic Cash Ledger will be certified by Commerical Taxes Department on the basis of the statements filed and the payment receipts.

(iii) At any stage after sale/ supply by the unit, in case of an inter-state supply of such goods (sale or inventory transfer) by a registered dealer, amount equivalent to SGST utilized in payment of IGST liability in relation to such inter-state supply would be recoverable from the unit and such recovery will be made through adjustment from the next installment of reimbursement if the unit is eligible for next installment of reimbursement. In case the unit is not eligible for next installment, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount in the Government Treasury and in the event of default by the Promoters in depositing the amount, the said amount will be recoverable as dues of land revenue.

(iv) Units will first utilize the full amount of IGST and SGST credit lying in Electronic Credit Ledger for payment of SGST liability and the balance SGST liability will be paid through Electronic Cash Ledger. In case the available credit is not fully utilized, amount of such available and un-utilized credit will be deducted from the next reimbursable claim of the Unit, if the Unit is eligible for next installment of reimbursement. In case the Unit is not eligible for next

installment of reimbursement, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount in the Government Treasury and in the event of default by the Promoters in depositing the amount, the said amount will be recoverable as dues of land revenue.

(v) Calculation of reimbursable/adjustable/depositable amount as referred to in sub-clause (iii) and (iv) will be done by the Commercial Taxes Department based on the statements filed by the applicant unit and related dealers and the same will be intimated to the Department of Industries and if required, recovery in such cases will be made by the Department of Industries.

Provided that other conditions of Clause 3.2.2 of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors vide Notification No. 1937 dated 27.12.2017 will remain intact; and

(2) For the purpose of certification of IGST and SGST credit utilized in discharging SGST liability as referred to in above mentioned sub-clause (1) and (2), confirmation of receipt of amount inherent in such credit, and computation of reimbursable claim of the Unit and procedure related to its resources, guidelines may be issued by the Commercial Taxes Department, from time to time.

(3) Industrial uints having production less than 25% of installed capacity shall not be eligible for SGST reimbursement.

(e) Deleted

2. Following Clause 8(c) is added after Clause 8(b) in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 :-
"Clause 8(c)- Units under Industrial Incentive Policy, 2011 will be reimbursed SGST exactly in the manner as stipulated under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. However, the period of reimbursement and the maximum limit of such reimbursement will continue to be as prescribed under Industrial Incentive Policy, 2011 "

3. The words "Scheduled Nationalized Bank" mentioned in Clause 6.1(iii), 6.1(iv) and 6.2-3(a) of the English edition of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 are substituted by the words "Scheduled Commercial Bank"

4. Consequent upon Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India exempting White category units falling under classified list of notified Industries from having to obtain Consent to operate (CTO), the words "Industries under Green category exempted from obtaining CTO & CTE" in Clause 4.1.5.c of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, are substituted by the words "Industries under White category exempted from obtaining CTO & CTE".

5. The words "minimum 50% increase" mentioned in sub-clause a, b and c of **Clause 6: Expansion/ Modernization/ Diversification of Annexure 1- Definitions** of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 are substituted by the words "minimum 25% increase".

6. Under Clause 6.1(vi) of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, maximum limit of land cost in the Approved project cost is increased from 10 percent to 20 percent.

7. Following sub-clause (xx) is added after sub-clause (xix) of Clause 6.1 of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

"Clause 6.1(xx) – In order to promote setting up of new and renewable energy based units for catering to the captive energy requirement of the existing and new units, these will be considered as new projects under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 and all incentives/ facilities will be provided to them accordingly."

8. Amendments in respect of tax related incentives will be effective from the date of GST implementation, i.e. 01.07.2017. Amendments other than tax related incentives will be applicable from the date of release of this resolution.

By the order of the Governor of Bihar

(Narmdeshwar Lal)
Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna.

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
File No- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017

Copy to: The Suprintendent, State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette. It is requested to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
No. No.- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017

Copy to: The Accountant General (Accounts & Title), Bihar, Patna/ Treasury Officer, Secretariat Treasury, Vikas Bhawan, Patna for information.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
No. No.- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017

Copy to: All Heads of Departments/ All Corporations/ Authorities of the Department of Industries/ P.S. to Minister, Department of Industries/ P.P.S. to Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna/ Director of Industries, Bihar, Patna/ Director, Technical Development, Bihar, Patna/ Director, Food Processing/ All General Managers, District Industries Centres for information and necessary action.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
No. No.- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017

Copy to: All Divisional Commissioners/ All District officers/All Deputy Development Commissioners/ Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/ Director, M.S.M.E.D.I, Patliputra, Patna/Muzaffarpur / Secretary to the Chief Minister, Bihar/ Chairman-Cum-Managing Director, Bihar State Power Holding Company Limited, Patna for information and necessary action.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
No. No.- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017
Copy to: O.S.D to Chief Secretary, Bihar, Patna/ Principal P.S. to the Development Commissioner, Bihar, Patna for information.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108 /Patna, Dated- 20/01/2020
No. No.- 4/Tech./Incentive Policy/ 38 / 2017
Copy to: IT Manager, Department of Industries, Bihar, Patna for uploading the copy of the resolution on the Departmental Website.

Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna